तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/2552/2004/कोटा** **समोल बनाम नेनूराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ
श्री गौरव बजाड़, सदस्य

उपस्थितः–

(1) श्री सुमित जैन, अभिभाषक प्रार्थी।
(2) श्री माधवराज सिंह, अभिभाषक अप्रार्थी।

निर्णय

दिनांकः 03.06.2025

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01–06–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। जिसमें राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अपने आक्षेपित निर्णय से अपील अपीलांट खारिज की जाकर विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27–05–2002 को यथावत् रखा गया है।

2– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की निगरानी पर बहस सुनी गई।

3– विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों का आदेश न्याय, नियम व कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य जैसे 06–03–1997 और 24–9–2001 की मौका रिपोर्ट से यह बिना किसी संदेह के साबित हो गया है कि याचिकाकर्ता पिछले 40 वर्षों से अधिक समय से विवादित भूमि पर निरंतर, निर्बाध और शांतिपूर्ण भौतिक रूप से कृषि कब्जे में है। गैर याचिकाकर्ता जो कभी भी विवादित भूमि पर काबिज नहीं रहा है, वह स्थायी निषेधाज्ञा के लिए वाद लाने या रिसीवर की नियुक्ति के लिए आवेदन दायर करने का हकदार नहीं है। न्याय का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थायी निषेधाज्ञा के लिए वाद दायर करने के लिए वादी के पास वाद दायर करने की तिथि को विवादित भूमि का कब्जा होना चाहिए। यह एक पूर्व शर्त है। जिसके अभाव में वाद गैर–धारणीय होने के कारण खारिज किया जा सकता है। गैर याचिकाकर्ता को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 के तहत कब्जे के लिए वाद लाना चाहिए था। जब

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/2552/2004/कोटा** **समोल बनाम नेनूराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वाद स्वयं स्वीकार्य न हो तो प्रतिवादी के विरुद्ध न तो अस्थायी निषेधाज्ञा दी जा सकती है और न ही विवादित भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया जा सकता है। धारा 212 के तहत अस्थायी निषेधाज्ञा देने या रिसीवर की नियुक्ति से वास्तविक कब्जे में दखल नहीं डाला जा सकता है एवं किसी के खिलाफ कोई अस्थायी निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती या रिसीवर नियुक्त नहीं किया जा सकता। कब्जे में मौजूद व्यक्ति भले ही वह अतिचारी हो, जिसे केवल विधि की उचित प्रक्रिया के अनुसार ही हटाया जा सकता है। वर्तमान मामले में, गैर याचिकाकर्ता विवादित भूमि पर मुकदमा दायर करने की तिथि से अपने कब्जे को साबित करने के लिए कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहा था। जब मुकदमे की तिथि पर वादी का प्रथम दृष्टया कब्जा स्थापित नहीं हुआ था तो दोनों विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विवादित भूमि पर रिसीवर की नियुक्ति को न्यायोचित माना जाना उचित नहीं है। याचिकाकर्ता को विधि की उचित प्रक्रिया द्वारा बेदखल किए जाने तक अपना कब्जा बनाए रखने का अधिकार है। जैसाकि 1989 आरआरडी पृष्ठ 753, 1986 आरआरडी पृष्ठ 632 में प्रतिपादित किया गया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विवादित भूमि पर रिसीवर नियुक्त करने में गलती की है जबकि इसके लिए आवश्यक तत्व और आधार मौजूद नहीं थे। रिसीवर की नियुक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि अदालत को यह संतुष्टि हो कि विवादित भूमि को किसी पक्ष द्वारा बर्बाद, क्षतिग्रस्त या अलग–थलग किए जाने का खतरा है या मुकदमे में किसी पक्ष द्वारा न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के लिए उक्त भूमि को हटाने या निपटाने की धमकी दी गई है अथवा इरादा है और ऐसी भूमि बीच में है। जहां आवश्यक तत्व स्थापित नहीं हैं, वहां रिसीवर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। जहां प्रतिवादी के पास वास्तविक कब्जा था, वहां भूमि को मध्य **(Land in Medio)** में नहीं कहा जा सकता है और यह अच्छी तरह से स्थापित है कि कब्जे वाले व्यक्ति को रिसीवर की नियुक्ति की आड़ में बेदखल नहीं किया जा सकता है। ऐसे मुकदमे में रिसीवर की नियुक्ति, जो अनुरक्षणीय नहीं है, को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा की अवहेलना करने के आरोप पर गैर याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिसीवर की नियुक्ति के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/2552/2004/कोटा** **समोल बनाम नेनूराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

लिए आवेदन गलत था। गैर याचिकाकर्ता द्वारा आदेश 39 नियम 2–ए. के तहत आवश्यक कार्यवाही करने के बजाय याचिकाकर्ता को बेदखल करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से आवेदन किया था, जिसे अवज्ञा और निषेधाज्ञा के उल्लंघन के मामलों से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया है। इसके अलावा गैर याचिकाकर्ता इस तथ्य को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है कि याचिकाकर्ता ने कभी भी अस्थायी निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन किया था। जहां तक गैर याचिकाकर्ता को आवंटन का सवाल है। याचिकाकर्ता द्वारा इस आधार पर इसे रद्द करने की कार्यवाही शुरू कर दी है कि आवंटन के समय भूमि खाली नहीं थी और आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं थी। इसके अलावा, आवंटन अनिवार्य नियमों का उल्लंघन करके किया गया था। इस प्रकार, जहां तक गैर याचिकाकर्ता के शीर्षक का सवाल है, यह विवादित है और सही नहीं है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस आधार पर रिसीवर नियुक्त करने में गलती की है कि गैर याचिकाकर्ता विवादित भूमि का खातेदार था।

अतः प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01–06–2004 एवं उपखण्ड अधिकारी, कोटा के निर्णय दिनांक 27–05–2002 को निरस्त किया जावें।

4– प्रत्युत्तर में विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने प्रार्थी की बहस का विरोध करते हुए कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते नियुक्त करने रिसीवर प्रस्तुत किया गया था जो दिनांक 27–05–2002 को स्वीकार किया गया था। जिसकी अपील अपीलांट द्वारा अपीलीय न्यायालय में करने पर उन्होंने भी अपने निर्णय दिनांक 01–06–2004 से अपीलांट की अपील खारिज करते हुए अपीलाधीन आदेश को यथावत् रखा है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है। जिसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रार्थी की निगरानी खारिज की जावे।

5– हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी। उस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अध्ययन एवं परिशीलन किया

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/2552/2004/कोटा** **समोल बनाम नेनूराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

गया।

6– पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी नेनूराम द्वारा विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा के समक्ष वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते रिसीवर नियुक्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया। जिसे विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27–05–2002 से रिसीवरी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नायब तहसीलदार, मण्डाना को आराजी खसरा नं0 82 रकबा 1–05 है0 मौजा मांदलिया पर रिसीवर नियुक्त कर दिया। इस निर्णय के विरूद्ध अपीलांट समोल द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष प्रस्तुत की गयी। जिसमें अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने आलौच्य निर्णय दिनांक 01–06–2004 द्वारा अपील अपीलांट खारिज की जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27–05–2002 को यथावत् रखा गया है।

7– प्रस्तुत प्रकरण में अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित निर्णय में माना है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। जिससे अपीलांट का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा सिद्ध हो। रेस्पो0 वादग्रस्त भूमि का आवंटी है और उसका आवंटन अभी तक बहाल है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि इन मीडियों **(Land in Medio)** स्वतः ही हो जाती है। अपीलांट वादग्रस्त भूमि पर उसका स्वत्व किस प्रकार से है यह बताने में असमर्थ रही है। परीक्षण न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय को अपीलीय न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् मानकर अपीलांट की अपील खारिज की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है। इसलिए प्रार्थी की निगरानी सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

8– अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी की निगरानी **खारिज** की जाती है। राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01–06–2004 एवं उपखण्ड अधिकारी, कोटा पारित निर्णय दिनांक 27–05–2002 यथावत् रखे जाते है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/2552/2004/कोटा** **समोल बनाम नेनूराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	9– पत्रावली फैसल शुमार हो, निर्णय की सूचना कम्प्यूटर के माध्यम से प्रदान की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(गौरव बजाइ)** **सदस्य**	